

म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन-मुख्यालय भोपाल
शाखाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन

1. अंकेक्षणकर्ता अधिकारी का नाम-
2. अंकेक्षण की दिनांक -
3. शाखा का नाम -
4. शाखा प्रबंधक का नाम -
5. शाखा प्रबंधक शाखा में कब से पदस्थ है -
6. शाखा में पदस्थ कर्मचारियों के नाम/पद/कर्मचारी शाखा में कब से पदस्थ है

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदस्थी दिनांक
.....
7. शाखा की भंडारण क्षमता एवं उपयोगिता

(अ) स्वनिर्मित क्षमता मी.टन उपयोगिता मी.टन/प्रतिशत
केप क्षमता मी.टन उपयोगिता मी.टन/प्रतिशत
(ब) किराये की क्षमता मी.टन उपयोगिता मी.टन/प्रतिशत
(स) जे.व्ही.एस मी.टन उपयोगिता मी.टन/प्रतिशत

कुल स्थिति
8. व्यवसाय

(1) प्राप्त व्यवसाय
(2) प्राप्त हो सकने वाले व्यवसाय की जानकारी
(3) शाखा प्रबंधक द्वारा व्यवसाय हेतु किए गए प्रयास का विवरण
9. आय-व्यय

(1) शाखा का लक्ष्य
(2) अंकेक्षण माह तक अनुपातिक लक्ष्य
(3) प्राप्त आय
(4) व्यय
(5) लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
(6) लक्ष्य से कम/अधिक प्राप्ति का विवरण

अंकेक्षणकर्ता अधिकारी विगत वर्ष की आय एवं अंकेक्षित वर्ष के आय-व्यय का विवरण भी दें।

10. हस्थ रेखा रोकड़ (अंकेक्षण दिनांक को)

- (1) केशबुक बैलेन्स
- (2) इम्प्रेस्ट केशबुक
- (3) निर्माण इम्प्रेस्ट केशबुक
- (4) स्पेशल रिपेयर्स कार्य संबंधी क्षे.का.
से प्रेषित राशि का शाखा में लेखा
संधारण से परीक्षण
- (2) पोस्टेज स्टेम्प
- (3) रेवेन्यू स्टेम्प

इम्प्रेस्ट केश का इम्प्रेस्ट एडवांस से मिलान कर रोके गए/अमान्य व्हाउचर की राशि तुरंत इम्प्रेस्ट में जमा करायी जाये।

स्पेशल रिपेयर वर्क के लिए भेजी गयी राशि का लेखा संधारण, निर्देशित नियमों के अनुसार व्यय देयकों का परीक्षण तथा शाखा मद में लंबित राशि के विषय में टीप ।

11. बैंक रोकड़

- (1) अंकेक्षण दिनांक को बैंक में जमा राशि का
बैंक स्टेटमेंट ले-राशि विवरण
- (2) प्राप्त भंडारण शुल्क की राशि समय पर
जमा की गयी/या नहीं
- (3) भंडारण शुल्क का प्रस्तुत देयकों से मिलान
किया जाये इसका विवरण दें।

बैंक से बैंक स्टेटमेंट लिया जावे, बैंक में जमा राशि, क्षे.का./मुख्यालय में हस्तांतरित राशि से प्राप्त आय का मिलान किया जाये उस पर टीप दी जावे।

12. भण्डारण शुल्क

- (1) अंकेक्षण दिनांक तक (नियमानुसार माह के अंत
के भंडारण शुल्क के देयक प्रस्तुत किए गए या नहीं)

- (2) पूर्व के देयक नहीं बनाए गए हो उनका विवरण
- (3) चालू वर्ष के प्रस्तुत देयकों से प्राप्त भंडारण
शुल्क राशि एवं विवरण
- (4) पूर्व वर्ष की लंबित भंडारण शुल्क
की राशि एवं विवरण
- (5) पूर्व वर्ष के देयकों की लंबित राशि विवरण सहित
- (6) राशि लंबित रहने के कारण
- (7) जमाकर्ताओं द्वारा रोकी गयी/काटी गयी
राशि का विवरण एवं कारण
- (8) ओवर एण्ड एबव के देयकों के प्रस्तुति विवरण तैयार
कराया जाये राशि एवं विवरण
- 13. टीडीएस का विवरण
- (1) टीडीएस का नियमानुसार कटोत्रा एवं राशि नियमानुसार
जमा की गयी है अथवा नहीं ? आयकर विवरणिका को
निर्धारित अवधि में जमा किया गया है अथवा नहीं
इसकी जांच की जावे।
- (2) जमाकर्ताओं द्वारा जो राशि टीडीएस के तहत
काटी गयी है वह राशि 26 ए.एस. में प्रदर्शित हो रही है
अथवा नहीं
- 14. धन राशि के संग्रहण एवं हस्तांतरण नियमानुसार
किया गया है अथवा नहीं इसकी जांच की जावे।
- 15. वेअरहाउस चार्जेज के देयक समय पर प्रस्तुत
किए जा रहे हैं अथवा नहीं ? वसूली की स्थिति
सही दर्शायी जा रही है अथवा नहीं ?
- 16. कंटेजेन्सी के तहत लेबर चार्जेज का भुगतान
नियमानुसार बैंक के माध्यम से किया जा रहा है
अथवा नहीं ?
- 17. जे.व्ही.एस. के अंतर्गत लिए गये गोदामों का